

23.09.19

न्यायालय अर्न्तगत भूमि सुधार उपसमाहर्ता, राजमहल

नामांतरण अपील वाद सं० 11/2018-19

अपीलार्थी- मो० नेजाम

बनाम

उत्तरवादी- कुमार मनोज प्रिय

आदेश

यह नामांतरण अपील वाद आवेदक मो० नेजाम, पिता- स्व० अयुव अंसारी, सा०- गुदाराघाट, पो०+थाना- राजमहल, जिला- राहेवगंज के आवेदन पर अंचल अधिकारी, राजमहल के नामांतरण वाद सं० 1017/2008-09 में दिनांक 20.02.2009 को पारित आदेश के विरुद्ध दाखिल किया गया है। साथ ही धारा 05 के तहत कालक्षन्ति आवेदन भी दाखिल किया गया है। दाखिल आवेदन के अवलोकन एवं अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता को सुनने के पश्चात संतुष्ट होकर वाद की कार्रवाई दिनांक 13.02.2019 को प्रारंभ की गई। विवादित भूमि का विवरण

मौजा	जमाबंदी नं०	दाग नं०	रकबा
माल कसवा	90/149	720	00-01-16

उभय पक्ष आज उपस्थित।

अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता का संक्षिप्त में कहना है कि प्रश्नगत जमीन मौजा- माल कसवा, जमाबंदी नं०- 90/149, दाग नं०- 720, रकबा 01 कट्टा 16 धूर के जमाबंदी रैयत सकली कुमरिन है, जिसकी एक मात्र पुत्री राधा देवी हुई तथा उनकी भी एक मात्र पुत्री रूकमनी देवी हुई। राधा देवी के मृत्योपरांत उनकी एक मात्र पुत्री रूकमनी देवी ही उत्तराधिकारी रही। उनके विद्वान अधिवक्ता द्वारा स्पष्ट बतलाया गया कि रूकमनी देवी के बीमार की स्थिति में अपीलार्थी ही एक मात्र उनकी मदद कये है। रूकमनी देवी जब बीमार थी उसी वक्त अपीलार्थी को अनिबंधित कागजात के द्वारा दान की, जो सड़क किनारे एक 18X12 फीट आकार का मकान दिनांक 02.05.1978 को गुलाम नबी एवं मो० महमूद की उपस्थिति में दखल दिलाई है। उसके बाद से ही अपीलार्थी उक्त मकान में तोषक, रजाई एवं तकिया इत्यादि का दुकानदारी करते आये हैं। फलस्वरूप उनके विद्वान अधिवक्ता का स्पष्ट रूप से कहना है कि उक्त नामांतरण बिना स्थल जाँच किये ही राजस्व कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक के द्वारा प्रतिवेदन अंचल अधिकारी को समर्पित किये। प्रतिवेदन के आधार पर अंचल अधिकारी द्वारा 16 आना रैयतों को नोटिस निर्गत किये बिना ही नामांतरण कर दिया गया। जबकि उत्तरवादीगण नाथनगर, भागलपुर (बिहार) में रहते हुए गलत ढंग से सम्पूर्ण जमीन मकान सहित पर दावा करते हैं। इस प्रकार अंचल अधिकारी, राजमहल के द्वारा उक्त नामांतरण में पारित आदेश बिल्कुल ही न्याय संगत नहीं है एवं अपास्त के लायक है। उनका यह भी कहना है कि प्रतिवेदन में राजस्व कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक द्वारा प्रश्नगत जमीन को उत्तरवादी के माता रूकमनी देवी के नाम प्रतिवेदित किया गया है, जो सरासर गलत है। क्योंकि रूकमनी देवी की मृत्यू नावल्द हुई है।

अतः अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता का अनुरोध है कि अंचल अधिकारी, राजमहल के नामांतरण वाद सं० 1017/2008-09 में दिनांक 20.02.2009 के पारित आदेश को अपास्त (Set-a-side) किया जाय।

आज उत्तरवादी उपस्थित।

उत्तरवादी के विद्वान अधिवक्ता को संक्षिप्त में कहना है कि विवादित भूमि उत्तरवादी के नानी रधिया देवी की थी। रधिया देवी अपनी बड़ी बहन जानकी देवी के साथ रहती थी तथा उनके मरने के बाद उनका श्राद्ध कर्म उत्तरवादीगण के भाई ने ही किया। फलस्वरूप सम्पूर्ण वाद भूमि जिसके उपर आवास एवं नीचे मकान है जानकी देवी के दखल भोग में है। वाद भूमि के उपरी तल पर उत्तरवादीगण निवास करते हैं तथा नीचे दुकान बना हुआ है, जिसको वे अपीलार्थी को भाड़ा में दिये हैं। इधर कुछ महीनो से अपीलार्थी उत्तरवादी को भाड़ा देना बंद कर दिये तथा एक जाली अनिबंधित दान पत्र उत्तरवादी की मौसी रूकमनी देवी को दात्री एवं स्वयं को ग्रहिता बनाकर दिनांक 02.05.1978 का बनाया है, जिसकी जानकारी अपीलार्थी

के आवेदन से ही पता चला है। उनके विद्वान अधिवक्ता का यह भी कहना है कि रुकमनी देवी ने दान पत्र अपीलार्थी के पक्ष में वाद भूमि को लेकर निष्पादित नहीं किया है। यहां उनके द्वारा यह भी स्पष्ट किया गया है कि अपीलार्थी वर्ष 1978 के दान पत्र के आधार पर अपना नामांतरण क्यों नहीं कराये। अतएव अपीलार्थी का अपील दायर करने का आधार ही निराधार है। साथ ही उनके द्वारा यह भी बताया गया कि अंचल अधिकारी, अंचल निरीक्षक एवं हल्का कर्मचारी ने जाँचोपरांत तथा 16 आना रैयतों को नोटिश निर्गत करने के पश्चात ही नामरंतरण की स्वीकृति प्रदान की है।

अतएव उनका अंतिम में कहना है कि नामांतरण वाद सं० 1017/2008-09 में पारित आदेश बिल्कुल नियम के अनुकूल है।


अतः उत्तरवादी के विद्वान अधिवक्ता का अनुरोध है कि अपीलार्थी द्वारा दायर नामांतरण अपील वाद को खारिज किया जाय।


अंचल अधिकारी, राजमहल से मूल अगिलेख प्राप्त। अवलोकन किया। उक्त में राजस्व कर्मचारी द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि आवेदित जमीन जमाबंदी नं०- 90/149 के दाग नं०- 720, रकवा 01 कट्टा 16 धूर जमीन आवेदक की माँ को उत्तराधिकारी के रूप में प्राप्त हुआ। माँ की मृत्यु के पश्चात आवेदित जमीन आवेदकगण के दखल में है। आवेदित जमीन आम खास, वासगीत पर्वारु भू-दान एवं भू-हदबन्दी से अप्रभावित है। अतएव राजस्व कर्मचारी द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि 16 आना रैयतों से आपत्ति के अभाव में नामांतरण आवेदकगण के नाम से किया जा सकता है। उक्त में अंचल निरीक्षक के द्वारा नामांतरण का अनुशंसा किया गया है एवं उक्त अनुशंसा के आलोक में अंचल अधिकारी, राजमहल द्वारा आवेदकगण के नाम नामांतरण की स्वीकृति प्रदान की गई है।

उपरोक्त तमाम स्थिति एवं परिस्थितियों पर सम्यक विचारोपरांत यह स्पष्ट है कि Tenants ledger register का संधारण केवल न्याय संगत दखल के आधार पर किया जाता है। दाखिल खारिज का स्वत्व/अधिकार से कोई संबंध नहीं होता है। उक्त नामांतरण अपीलवाद में अपीलार्थी ने नामांतरण वाद सं० 1017/2008-09 को अपास्त करने का आग्रह किया है। परन्तु अपने दखल के संबंध में कोई भी स्पष्ट साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये हैं। जिसके कारण उक्त वाद की कार्रवाई इस वाद के माध्यम से नहीं की जा सकती है। अपीलार्थी चाहें तो सक्षम न्यायालय की शरण में जा सकते हैं।

अतएव वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित।


भूमि सुधार उप समाहर्ता
राजमहल


भूमि सुधार उप समाहर्ता
राजमहल